राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2020–21/1457 दिनांक :– 22.06.2020

पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय द्वारा पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में पूर्व जारी विज्ञप्ति कमांक 1420 दिनांक 15.06.2020 के बिन्दु संख्या 9, 14 एवं 15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

- 9. विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciselottery.org एवं https://rajexcise.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 22.06.2020 को सायं 11.59 पी.एम. से बढाई जाकर दिनांक 28.06.2020 को सायं 11.59 पी.एम. तक किया जाता है। **अर्थात् ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 28.06.2020 को सायं 11.59 पी.एम. तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।**
- 14. **आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने वाले आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट को** दिनांक **29.06.2020 को 6 पीएम तक** सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- **15.** किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 30.06.2020 को प्रातः11.00 ए.एम.बजे से जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी,** जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर